



डिक्री व मुकदमें ईत्दाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 447/2025

योगेश पुत्र कृष्णलाल जाति अग्रवाल निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
-----वादी-----

- बनाम
- 1-दर्शनादेवी पत्नी कृष्णलाल जाति अग्रवाल निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
 - 2-अशोककुमार
 - 3-किमतीलाल
 - 4-प्रवीणकुमार
 - 5-पुरुषोत्तमकुमार
 - 6-संतोषरानी पत्नी बालमुकन्द पुत्र रामजीदास पुत्र सरदारीमल जाति अग्रवाल निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
 - 7-दीपिका पुत्री बालमुकन्द पुत्र रामजीदास पुत्र सरदारीमल जाति अग्रवाल निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
 - 8-विक्रम गुप्ता पुत्र राजकुमार पुत्र सरदारीमल जाति अग्रवाल निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
 - 9-विवेक अग्रवाल पुत्र मदनमोहन पुत्र नानकचंद जाति अग्रवाल निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
 - 10-सुमित पुत्र अशोककुमार पुत्र भगवानदास पुत्र मिलखीराम जाति अग्रवाल निवासी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
 - 11-तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न स्वामी वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 1 एएमपी-बी खाता संख्या 115/92 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में काशीराम, नानकचंद, मिलखीराम, सरदारी के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी योगेश को खातेदार काश्तकार घोषित कर काशीराम, नानकचंद, मिलखीराम, सरदारी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट:- यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....18.2.2024.....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया